

## राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 96 / जयपुर / 1956-57


यह प्रमाणित किया जाता है कि THE EDUCATION COMMITTEE OF THE MAHESHWARI SAMAJ, JAIPUR का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 किया गया था।

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर **THE EDUCATION COMMITTEE OF THE MAHESHWARI SAMAJ (SOCIETY), JAIPUR** जिला जयपुर कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक 25/2/2019 को जयपुर में जारी किया गया।

दिनांक:- 19 अक्टूबर, 1956



  
रजिस्ट्रार (संस्था)  
एकसमूह रजिस्ट्रार  
सहकारी समितियाँ, जयपुर